बदलाव : एम-3 मॉडल से कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव, दूसरे राज्यों से नई ईवीएम मंगाने के निर्देश

बिहार नवीनतम ईवीएम पर वोट डालेगा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार में विधानसभा का चुनाव इस बार नई ईवीएम से कराया जाएगा। इस नई ईवीएम का नाम एम-3 (मॉडल 3) है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नई ईवीएम से ही चुनाव कार्य कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान भी पुरानी ईवीएम की जगह नई ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मंगाने का निर्देश दिया था।

तीन राज्यों से मंगाई जाएंगी नई ईवीएमः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार बिहार में चुनाव के लिए तीन राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से नई ईवीएम मंगाई जाएंगी। इन राज्यों में आम चुनाव नए ईवीएम द्वारा ही कराए गए थे। उन्होंने बताया कि नई एम-3 ईवीएम पूर्व के मॉडल 2 ईवीएम से थोड़ी एडवांस है। यह तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की दृष्टि से प्रयोग में लाई जा रही है।

पुरानी मशीनें हटाई जाएंगी

बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजुनाथ कुमार सिंह के अनुसार नई ईवीएम आने के पहले एम-1 को फैक्ट्री व एम-2 को सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई मशीन से चुनाव की सारी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी हो जाएगी।

जांच-परख के बाद इस्तेमाल को मंजूरी

जानकारी के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान इस मशीन का यूपी में इस्तेमाल किया गया था। इस मशीन से मतदान के दौरान वोट किसी को देने और पर्ची किसी और की निकलने जैसी सभी शिकायतें रुक गई थीं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी जांच-परख के बाद इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है।

ईवीएम मॉडल 2 से अबतक होते आए हैं चुनावः बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम मॉडल 2 से कराए गए थे। इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। इसमें तकनीकी गड़बड़ी जल्द ठीक होनी मुश्किल होती थी। तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मॉडल 2 ईवीएम में बैलेट यूनिट भी कम संख्या में जोड़े जा सकते थे।

उम्मीदवारों के बढ़ने पर चुनाव में नहीं होगी परेशानीः नई ईवीएम से आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर अब कोई परेशानी नहीं होगी। 200 से अधिक उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट के माध्यम से मतदान के लिए ईवीएम में व्यवस्था की जा सकेगी। पूर्व के ईवीएम में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलट पेपर इस्तेमाल का प्रावधान था।

03
राज्यों यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश से नए ईवीएम आएंगे

200
से अधिक उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट से मतदान

कई खासियतें

- बीईएल द्वारा बनाई गई नई किस्म की एम-3 ईवीएम में टेंपर डिटेक्टन का फीचर है। यदि इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह काम करना बंद कर देती है।
- इसके अलावा यह मशीन कुछ खराबी आए तो स्वयं दुरुस्त कर लेती है। यानी यदि साफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है तो यह डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगी।
- इस मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा।
- एम-3 ईवीएम में 24 बैलट यूनिटें (एक बैलट यूनिट में 16 उम्मीदवार) जोड़ी जा सकती हैं।